

बिहार प्राथमिक शिक्षा कम्पेंडियम

मानव संसाधन संख्या विभाग

अधिसूचना संख्या 28 पटना, दिनांक 8 जुलाई, 1993<sup>1</sup>

जी० एस० आर०—28, दिनांक 9 जुलाई, 1993— भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल दिनांक 1 जनवरी, 1986 से केन्द्रीय वेतनमान लागू किये जाने के फलस्वरूप राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रोन्नति हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

नियमावली

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—(1) यह नियमावली बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, 1993 कही जा सकेगी।

(2) यह 1 जनवरी 1986 से प्रवृत्त समझी जायेगी। जब तक कोई बात या विषय सन्दर्भ के विरुद्ध नहीं हो।

2. परिभाषायें—इस नियमावली में—

- (1) “स्थापना समिति” से अभिप्रेत है, नियम-३ में गठित जिला शिक्षा स्थापना समिति।
- (2) “ग्रेड” से अभिप्रेत है, वेतनमान।
- (3) “ग्रेड-1” से अभिप्रेत है, मैट्रिक प्रशिक्षित मूल वेतनमान (रु० 1200—2040)।
- (4) “ग्रेड-2” से अभिप्रेत है, मैट्रिक प्रशिक्षित वरीय वेतनमान (रु० 1400—2600)।
- (5) “ग्रेड-3” से अभिप्रेत है, मैट्रिक प्रशिक्षित प्रवर वेतनमान (रु० 1640—2900)।
- (6) “ग्रेड-4” से अभिप्रेत है, स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान (कला) (रु० 1640—2900) अथवा स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान (विज्ञान) (रु० 1640—2900)।
- (7) “ग्रेड-5” से अभिप्रेत है, स्नातक प्रशिक्षित वरीय वेतनमान (रु० 2000—3500)।
- (8) “ग्रेड-6” से अभिप्रेत है, स्नातक प्रशिक्षित प्रवर वेतनमान (रु० 2200—4000)।
- (9) “ग्रेड-7” से अभिप्रेत है मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक का मूल वेतनमान (रु० 2000—3500)।
- (10) “ग्रेड-8” से अभिप्रेत है, मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक का वरीय वेतनमान (रु० 2200—4000)।
- (11) “अप्रशिक्षित” से अभिप्रेत है जो खंड (12) के अनुसार प्रशिक्षित नहीं है।
- (12) “प्रशिक्षित” से अभिप्रेत है वैसे व्यक्ति जो निम्न प्रशिक्षण प्राप्त हों एवं उत्तीर्ण हो—
  - (i) दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण, अथवा
  - (ii) बी० एड०/डिप-इन-एड०, अथवा
  - (iii) सेवाकाल में एक वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण।
- (13) “मैट्रिक प्रशिक्षित” से अभिप्रेत है वैसे व्यक्ति जो मैट्रिक या समकक्ष परीक्षोत्तीर्ण हो और प्रशिक्षित हो।
- (14) “स्नातक प्रशिक्षित” से अभिप्रेत है वैसे व्यक्ति जो स्नातक या समकक्ष योग्यता रखता हो तथा प्रशिक्षित हो।
- (15) “स्नातकोत्तर प्रशिक्षित” से अभिप्रेत है वैसे व्यक्ति जो स्नाकोत्तर या समकक्ष योग्यता रखता हो तथा प्रशिक्षित हो।

1. बिहार गजट के असाधारण अंक दिनांक 9 जुलाई 1993 द्वारा प्रकाशित।

(16) "मौलिक नियमावली" से अभिप्रेत है भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये बनायी गयी मौलिक नियमावली ।

3. स्थापना समिति—(1) शिक्षकों की प्रोन्नति के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा स्थापना समिति गठित होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

- (i) जिलाधिकारी—अध्यक्ष
- (ii) उप-विकास आयुक्त—सदस्य
- (iii) जिला शिक्षा अधीक्षक—सदस्य सचिव
- (iv) जिला शिक्षा पदाधिकारी—सदस्य
- (v) जिला विद्यालय निरीक्षका—सदस्य
- (vi) जिला कल्याण पदाधिकारी—सदस्य

परन्तु यह कि यदि क्रमांक (i) से (vi) तक वर्णित पदाधिकारियों में से कोई भी पदाधिकारी अनुसूचित जाति/जनजाति का न हो, तो उक्त वर्गों में से जिला पदाधिकारी द्वारा एक पदाधिकारी को इस समिति में मनोनीत किया जायगा ।

(2) स्थापना समिति द्वारा इस नियमावली के अधीन प्रोन्नति विषयक सभी निर्णय लिये जायेंगे ।

4. प्रोन्नति के लिये शर्तों—निम्नांकित शर्तों को पूरा करने पर ही किसी शिक्षक की प्रोन्नति पर विचार किया जा सकेगा :—

- (1) यह प्रोन्नति निमित्त निर्धारित न्यूनतम कालावधि पूरा करता हो,
- (2) वह प्रोन्नति निमित्त निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता रखता हो,
- (3) अनुसूचित जाति/जनजाति अथवा सामान्य वर्ग में से जिस वर्ग का वह हो, अद्यतन आरक्षण नियमों के अनुसार उस वर्ग के लिये रिक्त पद उपलब्ध हो,
- (4) वरीयता सूची में, उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध, यह विचारणीय हो, तथा
- (5) उसकी सेवा संतोषजनक हो ।

5. न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता एवं कालावधि—(1) ग्रेड-3 में प्रोन्नति के लिये—  
स्नातक प्रशिक्षित तथा ग्रेड 2 में न्यूनतम 12 वर्ष की सेवा, अथवा मैट्रिक प्रशिक्षित तथा ग्रेड-2 में न्यूनतम 18 वर्ष की सेवा,

(2) ग्रेड-4 में प्रोन्नति के लिये—

स्नातक प्रशिक्षित तथा ग्रेड-2 एवं ग्रेड-3 में शिक्षक उपलब्ध नहीं होने के चलते ग्रेड-1 से ग्रेड-4 में प्रोन्नति की दशा में ग्रेड-1 में न्यूनतम 8 वर्ष की सेवा ।

(3) ग्रेड-6 में प्रोन्नति के लिये—

स्नातकोत्तर प्रशिक्षित तथा ग्रेड-5 में न्यूनतम 12 वर्ष की सेवा, अथवा स्नातक प्रशिक्षित तथा ग्रेड-5 में न्यूनतम 18 वर्ष की सेवा

(4) ग्रेड-7 में प्रोन्नति के लिये—

स्नातकोत्तर प्रशिक्षित, ग्रेड-6 अथवा ग्रेड-5 में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ग्रेड-4 से ग्रेड-7 में प्रोन्नति की दशा में ग्रेड-4 में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा :

परन्तु यह कि अनुसूचित जाति/जन-जाति के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के नहीं मिलने पर उक्त वर्गों के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक को ग्रेड-7 में 31 मार्च, 1995 की अवधि तक प्रोन्नति दी जा सकेगी।

6. पदों की उपलब्धता—प्रत्येक वर्ष के लिये उस वर्ष की पहली अप्रैल को प्रोन्नति निमित्त रिक्त पदों की गणना स्थापना समिति करेगी। रिक्त पदों में से कितने पद लागू आरक्षण नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लिये होंगे, इनकी गणना भी स्थापना समिति करेगी:

परन्तु यह कि—

- (1) ग्रेड-1 से ग्रेड-2 में, ग्रेड-4 से ग्रेड-5 में तथा ग्रेड-7 से ग्रेड-8 में प्रोन्नति निमित्त क्रमशः ग्रेड-1, 4 तथा 7 प्रत्येक में, मात्र 12 वर्षों की सन्तोषजनक सेवा अनिवार्य होगी, पदों की उपलब्धता अथवा आरक्षण नीति का निर्वहन लागू नहीं होगा,
- (2) ग्रेड-2 ग्रेड-3, तथा ग्रेड-5 से ग्रेड-6 में प्रोन्नति के लिये क्रमशः ग्रेड-2 एवं ग्रेड-5 में 31 मार्च को कार्यरत कुल शिक्षकों के 20 प्रतिशत पद उपलब्ध रहेंगे,
- (3) ग्रेड-4 एवं ग्रेड-7 में विभिन्न जिलों के लिये सरकार द्वारा स्वीकृत पद प्रोन्नति निमित्त उपलब्ध होंगे।

7. प्रोन्नति हेतु वरीयता सूची का प्रारूप—प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर की स्थिति के अनुसार आगामी वर्ष के जनवरी माह के अन्त तक नियम-8 में वर्णित मानकों के अधीन निम्न वरीयता सूचियों का प्रारूप जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा तैयार किया जायेगा :-

- (1) वरीयता सूची नं० 1 (जो ग्रेड-3) में प्रोन्नति के लिये होगी—इस सूची में प्रथमतः उन स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को रखा जायेगा जिनको ग्रेड-2 में न्यूनतम सेवा 12 वर्षों की हो गयी हो और तत्पश्चात् उन मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षकों को जिनकी ग्रेड-2 में न्यूनतम सेवा 18 वर्षों की हो गयी हो।

(2) वरीयता सूची नं० 2 (जो ग्रेड-4) में प्रोन्नति के लिये होगी—

(i) यह सूची कला एवं विज्ञान के शिक्षकों के लिये अलग-अलग बनायी जायेगी,

(ii) इस सूची में शिक्षकों को निम्न क्रम में रखा जायेगा—

(क) ग्रेड-3 में कार्यरत स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक,<sup>1</sup>

(ख) ग्रेड-2 में कार्यरत स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक,

(ग) ग्रेड-1 में कार्यरत स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक जिनकी सेवा ग्रेड-1 में न्यूनतम 8 वर्ष हो गयी हो।

- (3) वरीयता सूची नं०-3 (जो ग्रेड-6 में प्रोन्नति के लिये होगी)—

(i) यह सूची कला एवं विज्ञान के शिक्षकों के लिये अलग-अलग नहीं बल्कि समेकित रूप से तैयार की जायेगी,

(ii) इस सूची में प्रथमतः उन प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षकों को रखा जायेगा जिनकी ग्रेड-5 में न्यूनतम सेवा 12 वर्षों की हो गयी हो और तत्पश्चात् उन प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों को रखा जायेगा जिनकी ग्रेड-5 में न्यूनतम सेवा 18 वर्षों की हो गयी हो।

- (4) वरीयता सूची नं० 4 (जो ग्रेड-7) तथा ग्रेड-8 में प्रोन्नति के लिये होगी—

(i) यह सूची कला एवं विज्ञान के शिक्षकों के लिये अलग-अलग नहीं बल्कि समेकित रूप से तैयार की जायेगी,

(ii) इस सूची में शिक्षकों को निम्न क्रम में रखा जायेगा—

1. हिन्दी भाषा के अनुसार ग्रेड 3 में कार्यरत स्थान तक प्रशिक्षित शिक्षक होगा।

- (क) ग्रेड-6 में कार्यरत प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षक,
- (ख) ग्रेड-5 में कार्यरत प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षक,
- (ग) ग्रेड-4 में कार्यरत प्रशिक्षित वे स्नातकोत्तर शिक्षक जिनकी सेवा ग्रेड-4 में न्यूनतम 5 वर्ष की हो :

परन्तु यह कि अनूसूचित जाति/जनजाति के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित उम्मीदवार नहीं मिलने पर 31 दिसम्बर, 1994 तक उनमें स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों का नाम स्नातकोत्तर प्रशिक्षित उम्मीदवारों के बाद रखा जायेगा;

- (iii) इस सूची से ग्रेड-4 तथा 5 में कार्यरत शिक्षक ग्रेड-7 में प्रोन्नति हो सकेंगे। ग्रेड-6 में कार्यरत शिक्षक सीधे ग्रेड-8 में प्रोन्नत हो सकेंगे।

**8. एक ही ग्रेड में पारस्परिक वरीयता—**एक ही ग्रेड के शिक्षकों को पारस्परिक वरीयता का निर्धारण निम्न मानकों के अधीन होगा—

- (1) उक्त ग्रेड प्राप्त करने की तिथि वरीयता निर्धारण का आधार होगा। ग्रेड प्राप्त करने की तिथि समान होने पर उससे निम्न ग्रेड प्राप्त करने की तिथि को और तदनुसार ही निम्नतम ग्रेड प्राप्त करने तक की तिथि को आवश्यकतानुसार आधार माना जायेगा।
- (2) ग्रेड प्राप्त करने की तिथि अन्ततः समान होने पर जन्म-तिथि को आधार माना जायेगा।
- (3) जन्म-तिथि समान होने पर उनके नाम के रोमन लिपि के वर्गाक्षर क्रम से पारस्परिक वरीयता का निर्धारण होगा।

**9. वरीयता सूची का अनुमोदन—**(1) वरीयता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जायेगा तथा उसकी प्रति जिलाधिकारी, उपायुक्त, जिला शिक्षा अधीक्षक एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालयों में शिक्षकों के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी। प्रकाशन के तीस दिनों के अन्दर जिला शिक्षा अधीक्षक एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालयों में शिक्षकों के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी। प्रकाशन के तीस दिनों के अन्दर जिला शिक्षा अधीक्षक को आपत्ति या सुझाव भेजा जा सकेगा।

(2) समय सीमा के अन्तर्गत स्थापना समिति द्वारा प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के बाद तैयार की गयी वरीयता सूची पर जिला स्थापना समिति की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी तथा अन्तिम रूप में क्षेत्रीय उपशिक्षा निदेशक द्वारा उसे अनुमोदित किया जायेगा।

**10. प्रोन्नति आदेश—**(1) वरीयता सूची से, जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा उपलब्ध पदों के विरुद्ध प्रोन्नति सम्बन्धी आदेश निर्गत किये जायेंगे, जो जिला शिक्षा अधीक्षक एवं उप-विकास आयुक्त के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत किया जायेगा।

(2) प्रोन्नति आदेश की एक प्रति कोषागार पदाधिकारी को उप-विकास आयुक्त के परामर्श पत्र से भेजी जायेगी।

**11. कार्यकारी व्यवस्था—**उच्चतर ग्रेड के किसी पद पर किसी शिक्षक के कार्यकारी रूप में कार्यरत होने की स्थिति में उस शिक्षक को उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ उक्त कार्यकारी कार्यावधि का कोई लाभ देय नहीं होगा।

**12. वेतन निर्धारण—**(1) प्रोन्नति के उपरान्त वेतन निर्धारण जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा किया जा सकेगा।

(2) निम्नलिखित प्रोन्नतियों के उपरान्त वेतन का निर्धारण "मौलिक नियमावली" के नियम 22 (1) (a) (i)

(परिशिष्ट 1) तथा केन्द्र सरकार द्वारा अपने शिक्षकों के लिये समय-समय पर निर्गत निदेशों के आलोक में किया जायेगा :-

- (क) ग्रेड-4 में प्रोन्नति ।
- (ख) ग्रेड-7 में प्रोन्नति ।
- (ग) ग्रेड-6 से ग्रेड-8 में प्रोन्नति ।

(3) निम्नलिखित प्रोन्नतियों के उपरान्त वेतन निर्धारण में मौलिक नियमावली के नियम 22 (1)(ए)(i) का लाभ देय नहीं होगा, बल्कि प्रोन्नति के बाद मिलने वाले वेतनमान में जिस प्रक्रम पर प्रोन्नति के पूर्व वेतन होता है, वही देय होगा:-

- (क) ग्रेड-2 में प्रोन्नति ।
- (ख) ग्रेड-3 में प्रोन्नति ।
- (ग) ग्रेड-5 में प्रोन्नति ।
- (घ) ग्रेड-6 में प्रोन्नति ।
- (ङ) ग्रेड-7 से ग्रेड-8 में प्रोन्नति ।

13. अप्रशिक्षित शिक्षक—(1) अप्रशिक्षित शिक्षक ग्रेड-1 से ग्रेड-8 तक के किसी भी ग्रेड में प्रोन्नति के योग्य नहीं होगा ।

(2) अप्रशिक्षित शिक्षक को कालबद्ध प्रोन्नतियां राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों की भांति सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार दी जा सकेंगी ।

(3) अप्रशिक्षित शिक्षक जिस तिथि को प्रशिक्षित हो जाता है, उस तिथि से उसे ग्रेड-1 दिया जा सकेगा ।

14. अपील—इस नियमावली के नियम 10 के अधीन निर्गत आदेश से विशुद्ध शिक्षक, आदेश निर्गत होने के 30 दिनों के अन्दर, प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष अपील कर सकेगा ।

15. निरसन और व्यावृत्ति :—(1) शिक्षकों की प्रोन्नति सम्बन्धी पूर्व में निर्गत सभी नियम/आदेश इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से निरसित माने जायेंगे ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी ऐसे नियमों एवं आदेशों द्वारा या उनके अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से किया गया था या की गयी समझी जायेगी मानों यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी ।

### परिशिष्ट 1

#### मौलिक नियमावली-नियम 22(1)(ए) (i) का हिन्दी रूपान्तर ।

मौलिक नियमावली 22 (1) कालमान वेतनमान के किसी पद पर नियुक्त होने वाले सरकारी सेवक का प्रारम्भिक वेतन निम्नलिखित रूप में विनियमित होगा:—

(ए) (i) जहां कोई सरकारी सेवक, आवाधिक पद से भिन्न कोई पद मौलिक या अस्थायी या स्थानापन्न रूप में धारण करता हो और उसे सुसंगत भर्ती नियमावली में यथाविहित पात्रता की शर्तें पूरी करने पर यथास्थिति मौलिक या अस्थायी या स्थानापन्न रूप में किसी ऐसे पद पर प्रोन्नति या नियुक्त किया जाय जिसके कर्तव्य और उसका प्रारम्भिक वेतन उस पद से अधिक महत्व के हों, तो उच्चतर पद के कालमान वेतनमान में उसका प्रारम्भिक

निर्धारण उसके द्वारा नियमित रूप से धारित निम्नतर पद पर उसके वेतन में एक वेतन-वृद्धि या पच्चीस रूपये, जो भी अधिक हो, जोड़ने पर परिगणित काल्पनिक वेतन का जो प्रक्रम होता उससे ऊपर के प्रक्रम पर होगा।

किसी संवर्ग-वाह्य पद या तदर्थ आधार पर किसी पद पर प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की स्थिति को छोड़कर, सरकारी सेवक को यह विकल्प होगा, जिसका प्रयोग वह यथास्थिति, प्रोन्नति या नियुक्ति की तिथि से एक माह के भीतर करेगा, कि वह इस नियम के अधीन ऐसी प्रोन्नति या नियुक्ति की तिथि से अथवा प्रारंभिक तौर पर जिस निम्नतर कोटि या पद पर उसे नियमित प्रोन्नति दी गयी हो, उसके वेतन के ऊपर नये पद के कालमान वेतनमान के प्रक्रम पर वेतन निर्धारित कराये, जिसे निम्नतर कोटि या पद के वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि के प्रोदभूत होने की तिथि को इस नियम के अधीन पुनर्निधारित किया जा सकेगा। जहां तदर्थ प्रोन्नति के बाद अटूट नियमित नियुक्ति की जाय वैसे मामलों में विकल्प प्रारंभिक नियुक्ति/प्रोन्नति की तिथि से अनुमान्य होगा और वह ऐसी नियमित नियुक्ति की तिथि से एक माह के अन्तर्गत दिया जायगा:

परन्तु जहां सरकारी सेवक उच्चतर पद पर अपनी नियमित प्रोन्नति या नियुक्ति के तुरत पहले निम्नतर पद के उच्चतम प्रक्रम पर वेतन प्राप्त कर रहा हो, यहां उच्चतर पद के कालमान वेतनमान में उसका प्रारंभिक वेतन का निर्धारण उसके द्वारा नियमित रूप से धारित निम्नतर पद के कालमान वेतनमान की अन्तिम वेतनवृद्धि की रकम के बराबर राशि या पच्चीस रूपये, जो भी अधिक हो, जोड़ने पर परिगणित काल्पनिक वेतन के ऊपर के प्रक्रम पर होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

एन० के० अग्रवाल,

सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग।

\*\*\*

### सेकेन्ड्री, प्राथमिक तथा वयस्क शिक्षा विभाग

#### अधिसूचना

पटना, दिनांक 16 जनवरी 1998 संख्यां 9/व-1145 शि० 100 चूंकि बिहार राज्यपाल की समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण राज्य के राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों में उच्चतर पदों पर शिक्षकों की प्रोन्नति हेतु गठित राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय प्रोन्नति नियमावली 1993 (अधिसूचना संख्यां-जी० एस० आर० 28 दिनांक 9 जुलाई 1993) में आगे दी गई रीति से संशोधन करने के लिए तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है।

अतः भारतीय संविधान की धारा-309 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल उक्त नियमावली में निम्नांकित संशोधन प्रतिस्थापित करते हैं :-

#### संक्षिप्त नाम प्रसार तथा प्रारंभ -

- (1) यह बिहार प्रारंभिक विद्यालय (संशोधन) प्रोन्नति नियमावली 1993 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राज्य में होगा।
- (3) यह जनवरी 1986 से प्रवृत्त मानी जाएगी।
- (4) बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रोन्नति नियमावली 1993 के नियम- 2 के उपनियम- 12 (11) के नियम का संशोधन :-

1. नियम 2 के उप नियम 12 (11) के स्थान पर निम्नांकित प्रतिस्थापित किया जाएगा :- 2-12 (11) -बी० एड०/डीप-इन-एड०/डीप-इन-टीच० अथवा
2. बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रोन्नति नियमावली 1993 के नियम 15 का संशोधन :- बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रोन्नति नियमावली 1993 के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा की गई कोई कार्रवाई पर इस संशोधन आदेश का प्रभाव नहीं पड़ेगा ।  
बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
ह०- एस० के० नेगी,  
सचिव ।

\* \* \*

**Human Resource Development Department  
NOTIFICATION<sup>1</sup>**

*Patna, Dated the 8th July 1993.*

GSR 28, dated 9th July 1993 – In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India and consequent upon the implementation of the Central Pay Scale with effect from 1st January 1986, the Governor of Bihar is pleased to make the following rules for promotion of the teachers of the elementary schools taken over by Government.

**RULES**

1. **Short title and commencement.** – (1) These Rules may be called the Bihar Taken Over Elementary School Teachers' Promotion Rules, 1993.  
(2) It shall be deemed to have come into force with effect from 1st January 1986.
2. **Definitions** – In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context – (1) "Establishment Committee" Means the committee constituted under rule 3.  
(2) "Grade" means scale.  
(3) "Grade-1" means Matric Trained Basic Scale – (1200 – 2040)  
(4) "Grade-2" means Matric Trained Senior Scale – (1400 – 2600)  
(5) "Grade-3" means Matric Trained Selection Scale – (1640 – 2900)  
(6) "Grade-4" means trained Arts Graduate Scale Rs. (1640 – 2900) or Trained Science Graduate Scale (1640 – 2900).  
(7) "Grade-5" means Trained graduate Senior Scale Rs. (2000 – 3500)  
(8) "Grade-6" means Trained graduate Selection Scale Rs. (2200 – 4000)  
(9) "Grade-7" means Middle School's Headmaster basic Scale Rs. (2000 – 3500)  
(10) "Grade-8" means Middle Scholl's Headmaster Senior Scale Rs. (2200 – 4000)  
(11) "Untrained" means those who are not trained as under clause-(12).

1. Published in the Bihar Gazette (Extra ordinary) dated 17th July, 1993

(12) "Trained" means those who have undergone and passed the following examinations – (i) Two years' Teachers Training, or

(ii) Dip-in-Ed/B.Ed. Training, or

(iii) One year training in service tenure.

(13) "Matric Trained" means those persons who have passed matriculation or equivalent examination and are trained.

(14) "Trained graduate" means those persons who are graduates or possess equivalent qualification and are trained.

(15) "Trained post Graduate" means those persons who are post-graduates or possess equivalent qualification and are trained.

(16) "Fundamental Rules" means the Fundamental Rules framed by Government of India for Central Government Employees.

**3. Establishment Committee.** – (1) There shall be constituted a District Establishment Committee at district level for promotion of teachers consisting of the following members : –

(i) District Magistrate – Chairman.

(ii) Dy. Development Commissioner – Member.

(iii) District Superintendent of Education – Member Secretary.

(iv) District Education Officer – Member.

(v) District Inspectress of Schools – Member.

(vi) District Welfare Officer – Member.

Provided that if none of the officers mentioned at serial (i) to (vi) belong so SC or ST, in that case District Magistrate shall nominate one officer belonging to SC or St in this committee.

(2) The Establishment Committee shall take all decisions regarding promotion under these rules.

**4. Conditions for promotion.** – The promotion of a teacher may only be considered on fulfilling the following : –

(1) He fulfills the minimum prescribed period of service for promotion;

(2) He possesses minimum prescribed educational qualification and training for promotion;

(3) There must be a vacancy meant for the category to which he belongs S.C., S.T. or general according to latest rules regarding reservation;

(4) He must be eligible for consideration for promotion on the basis of the Seniority list against the available vacancies;

(5) His service is satisfactory.

**5. Minimum educational and training qualifications and minimum tenure of service : –**

(1) For promotion to Grade-3. – Trained graduate and minimum 12 years of service in grade-2 or Matric trained and minimum 18 years of service in Grade-2.

(2) For promotion to Grade-4. – Trained graduate and minimum 8 years of service in Grade-1 in the event of promotion from grade-1 to grade-4 in case of non availability of teachers in grade-3 and grade-2.

(3) For promotion to Grade-6. – Trained post-graduate and minimum 12 years of service in Grade-5, or trained graduate and minimum 18 years of service in Grade-5.

(4) For promotion to Grade-7. – Trained post-graduate; in the event of promotion from grade-4 to grade-7 in case of non-availability of teachers in Grade-6 and Grade-5 minimum five years of service in grade-4;

Provided trained graduate teachers belonging to S.C. and S.T. may also be considered for promotion to Grade-7 till 31st March, 1995, if trained post-graduate teachers of these categories are not available.

**6. Availability of posts.** – Establishment Committee shall calculate for each year the vacant posts as on 1st April of that year for promotion. The Establishment Committee shall also calculate the vacant posts, for S.C., S.T. and General category according to the rules for reservation:

Provided that – (1) Promotion from grade-1 to grade-2 from grade-4 to grade-5 and from grade-7 to grade-8, minimum 12 years of satisfactory service shall be necessary in each of grade-1, Grade-4 and grade-7 respectively and there shall be no restriction of availability of posts and of reservation rules.

(2) For promotion from grade-2 to grade-3 and from grade-5 to grade-6 20% posts of the total number of teachers working in grade-2 and grade-5 respectively on 31st March, shall be available.

(3) For promotion to grade-4 and to grade-7, posts sanctioned by State Government for different districts shall be available.

**7. Draft of seniority list for promotion.** – By the end of the month of January of each year, the draft of the following seniority list, based on the position that existed on 31st of December of the previous year, shall be prepared according to the standard laid down in rule-8 by District Superintendent of Education in the following manner: –

- (1) Seniority list no. 1 (which shall be for promotion to grade-3) In this list, firstly those trained graduate teachers who have completed minimum 12 years of service in grade-2, shall be placed; thereafter those matric trained teachers, who have completed minimum 18 years of service in grade-2 shall be placed;
- (2) Seniority list no. 2 (which shall be for promotion to Grade-4) – (i) This list shall be prepared separately for arts and science teachers.  
(ii) The teachers shall be placed in this list in the following order: –  
(a) Trained graduate working in Grade-3;  
(b) Trained graduate working in grade-2;  
(c) Trained graduate working in grade-1 and who have completed minimum 8 years of service in grade-1.
- (3) Seniority list no. 3 (which shall be for promotion to grade-6) – (i) This list shall not be prepared separately for arts and science teachers but for both a consolidated list shall be prepared.

- (ii) In this list, firstly those trained Post-graduate teachers who have completed minimum 12 years of service in Grade-5 shall be placed. Thereafter those trained graduate teachers who have completed 18 years of service in trained graduate teachers who have completed 18 years of service in Grade-5 shall be placed.
- (4) Seniority list no. 4 (which shall be for promotion to grade-7 and to grade-8) – (i) This list shall not be prepared separately for Arts and Science teachers but for both a consolidated list shall be prepared.
- (ii) In this list teachers shall be placed in the following order : –
- Trained Post-graduate teachers working in Grade-6;
  - Trained Post-graduate teachers working in Grade-5;
  - Post graduate trained teachers working in grade-4 and who have completed minimum 5 years of service in Grade-4 :
- Provided graduate trained teachers of SC and ST category shall be placed after post graduate teachers, if post-graduate teachers of these categories are not available upto 31st December, 1994;
- (iii) From this list teachers working in Grade-4 and Grade-5 may be promoted to Grade-7 and teachers working in grade-6 may be promoted direct to Grade-8.

**8. Inter-se Seniority in the same grade.** – Inter-se Seniority of teachers working in the same grade shall be decided under the following standard: –

- The date of getting the said grade shall be the basis for determining the seniority. If the date of getting the grade is the same, then date of getting lower grade shall be the basis, and accordingly date of getting lowest grade, where ever required, shall be the basis;
- In Case of the date of getting the grade is the same. date of birth shall be the basis;
- In case of date of birth being the same, in that case Inter-se seniority shall be determined according to the alphabetical order of their names in Roman script.

**9. Approval of seniority list :** –(1) The draft seniority list shall be published and its copy shall be available in the office of D.M./D.D.C./D.S.E. and B.D.O. for perusal of the teachers. Objections or suggestions can be sent to D.S.E. within 30 days of publication.

(2) Approval of the Establishment Committee shall be obtained on the seniority list which shall be prepared after due consideration of the objections duly received by the D.S.E. in time. The seniority list shall finally be approved by R.D.D.E.

**10. Order of promotion.** – (1) The decision for promotion shall be taken after due consideration by the Establishment Committee against the vacant posts. The order of promotion shall be issued under joint signature of D.D.C. and D.S.E.

(2) A copy of the order of promotion have been sent to Treasury Officer alongwith advice of D.D.C.

**11. Working Arrangement.** – The period of a teacher, working on a post of higher grade by working arrangement, shall not be counted for any benefit for the purpose of promotion to the higher grade.

**12. Pay fixation.** – (1) D.S.E. may fix the pay after promotion.

(2) Consequent upon the following promotion the pay shall be fixed according to rule 22 (l)(a)(i) of "the Fundamental Rules" (Schedule 1) and orders issued from time to time by Government of India for their teachers : –

(a) Promotion to grade 4.

(b) Promotion to grade 7.

(c) Promotion to grade 8 from grade 6.

(3) In the following promotion, the benefit of rule 22(l)(a)(1) of "the Fundamental Rules" shall not be admissible for fixation of pay, but pay in the pay-scale admissible after promotion shall be fixed at the same stage which was being paid before promotion : –

(a) Promotion to grade 2

(b) Promotion to grade 3

(c) Promotion to grade 5

(d) Promotion to grade 6

(e) Promotion to grade 8 from grade. 7.

**13. Untrained Teachers.** – (1) An untrained teachers shall not be eligible for promotion to any of the Grade that is 1 to 8.

(2) An untrained teachers may be given time bound promotion according to the orders issued by the State government from time to time like other employees of the State Government.

(3) An untrained teacher may be given Grade 1 from the date of which he becomes trained.

**14. Appeal.** – A teacher aggrieved by an order issued under rule 10 of these rules may file an appeal before Divisional Commissioner within 30 days from the date of the order.

**15. Repeal and Savings.** – (1) All rules/orders, regarding promotion of teachers, shall be deemed to have been repealed from the date of these rules.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under such rules and orders, shall be deemed to have been done or taken under these rules, as if these rules were in force on the date on which such thing was done or action taken.

### SCHEDULE

#### FUNDAMENTAL RULES – RULES 22 (l)(a)(i)

(1) The initial pay of Government servant who is appointed to a post on a timescale of pay is regulated as follows : –

(a)(1) Where a Government servant holding a post, other than tenure post, in a substantive or temporary or officiating capacity is promoted or appointed in a substantive, temporary or officiating capacity as the case may be subject to the fulfilment of the eligibility conditions as prescribed in the relevant Recruitment

Rules, to another post carrying duties and responsibilities of greater importance than those attaching to the post held by him, his initial pay in the time-scale of the higher post shall be fixed at the stage next above the notional pay arrived at by increasing his pay in respect of the lower post held by him regularly by an increment at the stage at which such pay has accrued or rupees twenty-five only, whichever is more.

Save in cases of appointment on deputation to an ex-cadre post, or to a post on ad-hoc basis, the Government servant shall have the option, to be exercised within one month from the date of promotion or appointment, as the case may be, to have the pay fixed under this rule from the date of such promotion or appointment or to have the pay fixed initially at the stage of the time-scale of the new post above the pay in the lower grade or post from which he is promoted on regular basis, which may be refixed in accordance with this rule on the date of accrual of next increment in the scale of the pay of the lower grade or post. In cases where an ad-hoc promotion is followed by regular appointment without break, the option is admissible as from the date of initial appointment/promotion, to be exercised within one month from the date of such regular appointment :

Provided that where a Government servant is, immediately before his promotion or appointment on regular basis to a higher post, drawing pay at the maximum of the time-scale of the lower post, his initial pay in the time-scale of the higher post shall be fixed at the stage next above the pay notionally arrived at by increasing his pay in respect of the lower post held by him on regular basis by an amount equal to the last increment in the time-scale of the lower post or rupees twenty-five, whichever is more.

\* \* \*

#### अधिसूचना

संख्या-जी० एस० आर० 980 दिनांक 16 जून 1994 भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल राजकीयकृत प्रारम्भिक विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानान्तरण एवं उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :-

#### नियमावली

##### 1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :-

- (क) यह बिहार राज्य राजकीयकृत प्रारम्भिक विद्यालय शिक्षक (स्थानान्तरण एवं अनुशासनिक कार्रवाई) नियमावली, 1994 कही जा सकेगी।
- (ख) यह नियमावली तुरत प्रवृत्त होगी।

##### 2. परिभाषा—1. जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध नहीं हो, इस नियमावली में:-

- (क) शिक्षक से अभिप्रेत है राजकीयकृत प्रारम्भिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक एवं सहायक शिक्षक।
- (ख) "विद्यालय" से अभिप्रेत है राजकीयकृत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय (कन्या प्राथमिक एवं कन्या मध्य विद्यालय सहित)।